# विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्र. 693-18-भू-अभि.-2014.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदृद्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

## अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम	राजस्व ग्राम का नाम
का नाम व पटवारी हल्का नंबर	एवं पटवारी हल्का
एवं इससे पृथक किया	नंबर
गया क्षेत्रफल)	
(1)	(2)
मूल ग्राम सरईपतेरा	राजस्व ग्राम—भैंसानटोला
पटवारी हल्का नंबर 30	पटवारी हल्का नंबर 30.
पृथक किया गया क्षेत्रफल	
323.465 हे.	

क्र. 694-18-भू-अभि.-2014.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

# अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम	राजस्व ग्राम का नाम
का नाम व पटवारी हल्का नंबर	एवं पटवारी हल्का
एवं इससे पृथक किया	नंबर
गया क्षेत्रफल)	
(1)	(2)
मूल ग्राम खांटी	राजस्व ग्राम—ददराटोला
पटवारी हल्का नंबर 49(80)	पटवारी हल्का नंबर
पृथक किया गया क्षेत्रफल	49(80).
212.332 हे.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नन्दकुमारम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 18 सितम्बर 2014

क्र. 1551.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील बण्डा, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

## अनुसूची

30	
भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर	राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का
एवं इससे पृथक किया गया क्षेत्रफल)	नंबर
(1)	(2)
<ol> <li>पाटन, प.ह.नं. 48, क्षेत्रफल 177.91 हे.</li> </ol>	1. नयाखेड़ा, प.ह.नं. 48
<ol> <li>बृढ़ाखेरा, प.ह.नं. 54, क्षेत्रफल 651.84 हे.</li> </ol>	2. सिसगुंवा, प.ह.नं. 54
3. चौकामेड़ा, प.ह.नं. 93,	3. डाबलीखेड़ा, प.ह.नं. 93

क्र. 1552.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है:—

क्षेत्रफल 283.69 हे.

# अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम	राजस्व ग्राम का नाम
का नाम व पटवारी हल्का नंबर	एवं पटवारी हल्का
एवं इससे पृथक किया	नंबर
गया क्षेत्रफल)	
(1)	(2)
1. टड़ा, प.ह.नं. 01,	1. सोजनावार, प.ह.नं. 01
क्षेत्रफल 227.79 हे.	

क्र. 1553.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील मालथौन, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित

किया जाता है:-

### अनुसूची

राजस्व ग्राम का नाम भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं पटवारी हल्का एवं इससे पृथक किया नंबर गया क्षेत्रफल) (1) (2)

- 1. बॉदरी, करौती प.ह.नं. 71, 1. क्वाला, प.ह.नं. 71 क्षेत्रफल 173.29 हे.
- 2. परसोन, प.ह.नं. 105, 2. पठारी, प.ह.नं. 105 क्षेत्रफल 172.74 हे.
- 3. प्रेमपुरा, प.ह.नं. 122 3. बरोदियाकला, प.ह.नं. 122, क्षेत्रफल 176.21 हे.

क्र. 1554.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील राहतगढ, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता हैं:--

### अनुसूची

भ-भाग का विवरण (मूल ग्राम राजस्व ग्राम का नाम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं पटवारी हल्का एवं इससे पृथक किया नंबर गया क्षेत्रफल) (1)(2)

- 1. लखनपुर, प.ह.नं. 34 1. मेनवारा कला, प.ह.नं. 34, क्षेत्रफल 423,91 हे.
- 2. जलन्धर, प.ह.नं. 38, 2. लक्ष्मनपुर, प.ह.नं. 38. क्षेत्रफल 425.13 हे.

क्र. 1555.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील केसली, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :--

# अनुसूची

भ-भाग का विवरण (मूल ग्राम राजस्व ग्राम का नाम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं पटवारी हल्का एवं इससे पृथक किया नंबर गया क्षेत्रफल) (2) (1)

1. नयागांव, प.ह.नं. 6 1. बम्होरी नाहरमऊ, प.ह.नं. 6, क्षेत्रफल 331.92 हे.

(1)

(2)

2. नाहरमऊ, प.ह.नं. 13, क्षेत्रफल 161.72 हे.

2. कुण्डलपुर, प.ह.नं. 13.

क्र. 1556.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सागर, जिला सागर के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :--

#### अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम राजस्व ग्राम का नाम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं पटवारी हल्का एवं इससे पृथक किया नंबर गया क्षेत्रफल) (2) (1)

1. कर्रापुर, प.ह.नं. 82, 1. खिरिया, प.ह.नं. 82 क्षेत्रफल 278.38 हे.

2. अर्जनाटोला, प.ह.नं. 114. 2. घाटमपुर, प.ह.नं. 114, क्षेत्रफल 348.06 हे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

#### हरदा, दिनांक 19 सितम्बर 2014

क्र. 1090-वर्कलोड-2014.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (ब-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, नीचे दर्शाय अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील सिराली, जिला हरदा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :--

राजस्व ग्राम का नाम

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व पटवारी हल्का नंबर एवं पटवारी हल्का एवं इससे पृथक किया नंबर गया क्षेत्रफल) (1) (2) बीड, प.ह.नं. 24 कडोलाराधव पटवारी पृथक किया गया क्षेत्रफल हल्का नं. 24, 322.657 हैक्टेयर. पृथक किया गया क्षेत्रफल 542.765 हैक्टेयर.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.